



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-11042023-245087
CG-DL-W-11042023-245087

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12]

नई दिल्ली, मार्च 26—अप्रैल 1, 2023, शनिवार/चैत्र 5,—चैत्र 11, 1945

No. 12]

NEW DELHI, MARCH 26—APRIL 1, 2023, SATURDAY/ CHAITRA 5,—CHAITRA 11, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2022

सा.का.नि. 28.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद, निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2016 को अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में निदेशक के समूह 'क' के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्;

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वेतन-मैट्रिक्स में वर्गीकरण और स्तर** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबंध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** कोई व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह की संविदा की है:

उक्त पद पर नियुक्ति हेतु वह उसका पात्र नहीं होगा।

परंतु केंद्रीय सरकार यदि संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह उसका और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हो, और यह कि ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि यह आवश्यक है या समीचीन है वहां उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निदेशक	1* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्ययधीन	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 13 (123100 -225900/- रु.)	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित-शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक-अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
मिश्रित पद्धति प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/प्रोन्नति।	मिश्रित पद्धति प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/प्रोन्नति:- 1. केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी संगठन के अधीन अधिकारी: (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स अथवा समतुल्य में स्तर 12 (78800-209200 रुपए) श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात प्रदान की गई पांच वर्ष की सेवा वाले हों; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात्:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अकार्बनिक अथवा कार्बनिक अथवा विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से मृदा विज्ञान या कृषि रसायन विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ कृषि में स्नातकोत्तर डिग्री; और (ii) उर्वरक अथवा जैव उर्वरक अथवा मृदा अथवा जल अथवा कीटनाशकों और अन्य कृषि आदानों के विश्लेषण में पांच वर्ष का अनुभव सहित गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम दो वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो।	लागू नहीं	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

	टिप्पण 1 : वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 में श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ विभागीय संयुक्त निदेशक को भी बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन किया जाता है, तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3: अन्य बाह्य संवर्ग पद पर इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में धारित प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित (अल्पकालिक संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	---	--	--

[एफ.सं.5-4/2007-आईएनएम (खंड-II)(24807)]

चंद्रशेखर प्रसाद, अवर सचिव, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

New Delhi, the 15th October, 2022

G.S.R. 28.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Fertilizer Quality Control and Training Institute, Faridabad, Director (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' post of Director in the Central Fertilizer Quality Control and Training Institute, Faridabad, under the Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, namely:-

1. Short title and commencement .-- (1) These rules may be called the Central Fertilizer Quality Control and Training Institute, Director (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Level in pay matrix - Number of said post, its classification, level in pay matrix attached thereto; shall be as specified in columns (2) to (4) of Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Director	1* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 13 in th Pay Matrix (Rs.123100 -225900/-)	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable	Not Applicable	Not applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Composite method Deputation Including Short Term	Composite Method Deputation Including short term contract (ISTC)/Promotion:- 1. Officers under the Central Government or State Governments or Union territory administration territories or recognised research	Not Applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for

Contract (ISTC)/ Promotion.	institutions or Universities or public sector undertakings or autonomous or statutory organisation: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto in level 12 (Rs.78800-209200) in the Pay Matrix or equivalent, in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Masters Degree in Chemistry with specialisation in Inorganic or Organic or Analytical Chemistry from a recognised University or institution or Masters degree in Agriculture with specialisation in Soil Science or Agricultural Chemistry from a recognised University or institution; and (ii) Ten years experience in the field of Quality Control including five years experience in the analysis of fertilizer or bio-fertilizers or soil or water or pesticides and other agricultural inputs out of which at least two years administrative experience. Note 1: The departmental Joint Director in level 12 in the pay matrix with five years' regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and if he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. Note 2 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 3: The Period of deputation (including short term contract) including period of deputation(Including short term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 4: The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of application		filling up the post.
-----------------------------	--	--	----------------------

[F.No.5-4/2007-INM(Vol-II)(24807)]

CHANDRA SHEKHAR PRASAD, Under Secy.

Integrated Nutrient Management (INM)

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2023

सा.का.नि. 29.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, (चतुर्थ श्रेणी अराजपत्रित पद), भर्ती नियम 1969 का अधिक्रमण करते हुए, जहां तक यह पद स्टाफ कार चालक से संबंधित है, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय में स्टाफ कार चालक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, स्टाफ कार चालक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीर्य विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चाहे चयन पद हो या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	2* 2023 *	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर-अनुसूचित	स्तर 2 (19,900 रुपये - 63200 रुपये)।	अचयन उपयुक्त मानक के ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण करने के	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के	(i) मोटर कार के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करना; (ii) मोटर तंत्र का ज्ञान (अभ्यर्थी वाहन में मामूली कमियों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए);

के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	य		अध्यधीन	लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है)।	(iii) कम से कम तीन वर्ष का मोटर कार चलाने का अनुभव; और (iv) किसी मान्यता प्राप्त राज्य या केंद्रीय बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। टिप्पण 1: अनुभवों के बारे में योग्यता नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर छूट योग्य है। टिप्पण 2: अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में, यदि चयन के किसी भी चरण में, सक्षम प्राधिकारी की राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या होने की संभावना नहीं है तो वह उनको आरक्षित करेगा।
--------------------------------------	---	--	---------	--	--

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोन्नति के मामले में लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/समावेशन ग्रेड द्वारा भर्ती के मामले में जिसमें से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो इसका संघटन कैसा है।	ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना हो।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष।	ड्राइविंग परीक्षण के परिणाम पर सीधी भर्ती द्वारा चालकों में	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के	लागू नहीं होता।

		आवश्यक समझे जाने वाले योग्यता के मानकों के संदर्भ में पद की उपयुक्तता का निर्णय लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है, निदेशालय के अधीन नियमित मल्टी टास्किंग स्टाफ कर्मचारियों में से, कॉलम 7 में निर्धारित योग्यता रखते हैं।		<u>लिए):</u> 1. निदेशक (ए), विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय -अध्यक्ष 2. अवर सचिव (विपणन), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग -सदस्य 3. अवर सचिव, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय - सदस्य	
--	--	---	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(2) स्टाफ कार चालक (श्रेणी -II)	2* 2023 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय।	स्तर 4 (25500-81100 रुपये)।	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,	(i) मोटर कार के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखना; (ii) मोटर तंत्र का ज्ञान (अभ्यर्थी वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में सक्षम होगा); (iii) कम से कम तीन वर्ष के लिए मोटर कार चलाने में अनुभव; और (iv) किसी मान्यता प्राप्त राज्य या केंद्रीय बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। टिप्पण 1: नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर अनुभवों की योग्यता में छूट है। टिप्पण 2: अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से

					त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।	संबंधित उम्मीदवारों के मामले में, यदि चयन के किसी भी चरण में, सक्षम प्राधिकारी की राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या होने की संभावना नहीं है तो वह उनको आरक्षित करेगा।
--	--	--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर रोजगार कार्यालय के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा है।	प्रोन्नति : ग्रेड में नौ वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19,900 - 63200 रुपये) में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड) और कार्यालय प्रमुख द्वारा आयोजित उचित मानक की ट्रेड परीक्षा निम्नानुसार उत्तीर्ण की है:- (i) अंग्रेजी अंकों और संख्याओं को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। (ii) यातायात विनियमों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। (iii) दोषों का पता लगाने और सुधारने में सक्षम होना चाहिए। (iv) पहियों को बदलने और टायरों में सही ढंग से हवा भरने में सक्षम होना चाहिए।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए):- (1.) निदेशक (ए), विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय -अध्यक्ष (2.) अवर सचिव (विपणन), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग -सदस्य (3.) अवर सचिव, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय - सदस्य	लागू नहीं होता।

[मि. सं. 11015/1/2014-M.I.]

मोहन लाल मीना, अवर सचिव (वि-1)

New Delhi, the 10th March, 2023

G.S.R. 29:—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Marketing and Inspection, (Class IV Non gazetted posts), Recruitment Rules 1969, in so far as it relates to the post of Staff Car Driver, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules; regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver, in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, the Directorate of Marketing and Inspection, namely:-

1. **Short title and commencement:—**(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Directorate of Marketing and Inspection, Staff Car Drivers (Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.-** The number of said posts, their classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.-**No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of the post.	Number of the post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether Selection Post or Non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) Staff Car Driver (Ordinary Grade).	2* 2023 *subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2 (Rs. 19,900 – 63200).	Non-Selection subject to passing of a Trade Test of appropriate standard.	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date	(i) Possession of a valid driving license for motor car; (ii) knowledge of motor mechanism (The candidate shall be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) experience in driving a motor car for at least three years ; and

					for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	(iv) 10th standard pass from a recognised State or Central Board. Note 1 : The qualification regarding experiences is relaxable at the discretion of the appointing authority. Note 2: In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	--	--	--	---	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists which is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	By direct recruitment on the result of the test in driving designed to adjudge the suitability of the post with reference to standards of competency	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): 1. Director (A), Directorate of Marketing and Inspection - Chairman 2. Under Secretary	Not applicable.

		considered essential in drivers , from amongst regular Multi Tasking Staff employees under the Directorate, possessing the qualifications prescribed in column (7).		(Marketing), Department of Agriculture and Farmers Welfare - Member 3. Under Secretary, Directorate of Marketing and Inspection - Member	
--	--	---	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(2) Staff Car Driver (Grade-II).	2* 2023 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 (Rs.25500-81100).	Not applicable.	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi sub division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Ladakh Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	(i) possession of a valid driving license for motor car; (ii) knowledge of motor mechanism (The candidate shall be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) experience in driving a motor car for at least three years ; and (iv) 10 th standard pass from a recognised State or Central Board. Note 1 : The qualification regarding experiences is relaxable at the discretion of the appointing authority. Note 2: In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	Promotion failing which by direct recruitment through Employment Exchange .	Promotion : Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level 2 (Rs. 19,900 – 63200) in the Pay Matrix with nine years regular service in the grade and have passed the trade test of appropriate standard conducted by Head of Office as under :-- (i) must be able to read English numerals and figures. (ii) must have a thorough knowledge of traffic regulations. (iii) must be able to locate faults and rectify. (iv) must be able to change the wheels and correctly inflate tyres.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):-- (1.) Director (A), Directorate of Marketing and Inspection - Chairman (2.) Under Secretary (Marketing), Department of Agriculture and Farmers Welfare - Member (3.) Under Secretary, Directorate of Marketing and Inspection – Member	Not applicable.

[F. No. 11015/1/2014-M.I.]

MOHAN LAL MEENA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीजीएचएस प्रभाग)

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2023

सा.का.नि. 30.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (नर्सिंग सिस्टर) भर्ती नियम, 1994 को, जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ परिचर्या अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में ज्येष्ठ परिचर्या अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन , ज्येष्ठ परिचर्या अधिकारी (एलोपैथिक), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनसे संबद्ध स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके एवम संघ लोक सेवा आयोग की सलाह के उपरांत, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ परिचर्या अधिकारी।	42* (2023) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली - 30 केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद- 3 केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई - 9 (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ख, राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर - 8 वेतन मैट्रिक्स में (47600-151100 रुपए)	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं	100 प्रतिशत प्रोन्नति	ग्रेड में दो वर्षों की

		होता।	द्वारा।	नियमित सेवा तथा वेतन मैट्रिक्स) के स्तर -7 (रु 44900-142400) में परिचर्या अधिकारी से प्रोन्नति द्वारा जिसने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गये संगठन से सुसंगत क्षेत्र में 2 - 4 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण किया है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमेसे जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।
--	--	-------	---------	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबन्ध में विचार करने के लिये)	आवश्यक नहीं है।

जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (1) निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली - अध्यक्ष;
- (2) अपर निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय), नई दिल्ली - सदस्य;
- (3) निदेशक (प्रशासन) ,स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली - सदस्य ;
- (4) उप सचिव/अवर सचिव (प्रशासन) ,केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली - सदस्य।

[सं0 ए-12018/03/2018 –सीजीएचएस–I]

वंगारा प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Central Government Health Scheme Division)

New Delhi, the 21st March, 2023.

G.S.R. 30.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Government Health Scheme (Nursing Sister) Recruitment Rules, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Nursing Officer, in the Central Government Health Scheme Organisation, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation, Senior Nursing Officer (Allopathic), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Nursing Officer.	42* (2023) Central Government Health Scheme, Delhi - 30 Central Government Health Scheme, Hyderabad - 3 Central Government Health Scheme, Mumbai - 9 * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 8 in the pay matrix(Rs. 47600-151100).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	100 per cent. by promotion.	Promotion from Nursing Officer in the level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with two years regular service in the grade and have successfully completed mandatory training of two to four weeks in the relevant area and from the organisation to be prescribed by the Ministry of health and Family Welfare. Note : Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or

				eligibility services, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.
--	--	--	--	--

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Director, Central Government Health Scheme, New Delhi - Chairman; 2. Additional Director (Head Quarter) - Member ; Central Government Health Scheme, New Delhi 3. Director (Administration) Directorate General of Health Services - Member ; New Delhi. 4. Deputy Secretary or Under Secretary (Administration) - Member. Central Government Health Scheme, New Delhi	Not necessary.

[No.A-12018/03/2018 -CGHS -I]

VANGARA PRASAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2023

सा.का.नि. 31.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, जिला बांकुरा, पश्चिमी बंगाल (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1985 को, जहां तक उसका संबंध गैर-चिकित्सा पर्यवेक्षक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा जिला, पश्चिमी बंगाल में गैर-चिकित्सा पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, गैर-चिकित्सा पर्यवेक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गैर-चिकित्सा पर्यवेक्षक	1* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवी य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपए)	अचयन	18 से 25 वर्ष आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। 1) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम,	अनिवार्य: i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से अठारह माह की अवधि का बहुदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्रमाणपत्र और दो माह का इंटरनशिप। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की

				मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय को नामों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।	जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
--	--	--	--	---	---

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु-नहीं। शैक्षणिक अर्हता-हाँ।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने	प्रोन्नति: पैरा मेडिकल वर्कर जिन्होंने उस श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3(21700-69100	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में	लागू नहीं होता।

		पर सीधी भर्ती द्वारा। रूपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष सेवा की हो और जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो :- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रुपये) या समकक्ष वाले पद पर पाँच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - अध्यक्ष; (2) सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - सदस्य; (3) चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - सदस्य; (4) क्षेत्र में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य कार्यालय से कोई एक राजपत्रित अधिकारी - सदस्य।	
--	--	---	---	--

[फ़ा. सं. ए.12018/70/2019-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 24th March, 2023.

G.S.R. 31.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Regional Leprosy Training and Research Institute at Gauripur in Bankura District, West Bengal (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1985, in so far it relates to the post of Non-Medical Supervisor, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method for recruitment to the post of Non-Medical Supervisor in the Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur, Non-Medical Supervisor (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of said post, its classification and level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Non-Medical Supervisor.	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Non-selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years of age. (Relaxable for departmental candidates upto forty years of age in case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date of determining the age-limit shall be the last date up to which employment exchange is asked to submit the names.	Essential: (i) Passed 10+2 with Science from a recognised Board. (ii) Multipurpose Health Workers Training Certificate of eighteen months and two months internship from a recognised Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Age- No. Educational Qualifications- yes.	Two years.

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation /absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	Promotion: Para Medical Worker in the level-3 in pay matrix (Rs.21700-69100) with five years service rendered in the Grade after regular appointment thereto and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Deputation: Officer of the Central Government holding , - (a) (i) analogous posts on regular basis; Or (ii) post in the Level -3 in pay matrix (Rs.21700-69100) or equivalent with five years regular service in the grade; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7). Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Department of the Central Government shall ordinarily not	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :- 1. Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur - Chairman; 2. Assistant Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur - Member; 3. Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur – Member; 4. A Gazetted Officer from another Central Government or State Government office in the area – Member.	Not applicable.

	exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date for receipt of applications.		
--	--	--	--

[F. No. A-12018/70/2019-Lep]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2023

सा.का.नि. 32.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2023 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर—** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी)।	01(2023)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित। अननुसचिवीय,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	अचयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	आयु : लागू नहीं होता। शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेदन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष।	प्रोन्नति।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300/- रुपये) में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-1, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने हेतु)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श

		नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष; 2. चिकित्सा अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य; 3. उप निदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य; 4. परिवहन प्रभारी, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य। समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष; 2. चिकित्सा अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य;	आवश्यक नहीं है।
--	--	---	---	------------------------

			3. उप निदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य; 4. परिवहन प्रभारी, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य।	
--	--	--	--	--

[फा. सं. ए. 11018/27/2017-एमएच II(भाग II)]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 27th March, 2023.

G.S.R. 32.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Special Grade) in the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Staff Car Driver (Special Grade) Group ‘B’ Post, Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes , the Ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Staff Car Driver (Special Grade).	01 (2023)* *subject to variation	General Central Service, Group ‘B’, Non-Ministerial, Non-Gazetted.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400 – 112400).

	dependent on workload.		
--	------------------------	--	--

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Non selection.	Not applicable.	Not applicable.	Age : Not applicable. Educational qualifications : Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years.	Promotion.	Promotion: Staff Car Driver Grade I in Level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) with three years of regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additonal Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Chairman; 2. Deputy Director in-Charge of Medical Hospital, Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital	Consultation with Union Public Services Commission is not necessary.

4. Incharge Transport, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital,	- Member;
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	- Member.
1. Additonal Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital	-Chairman;
2. Deputy Director in-Charge of Medical Hospital, Directorate General of Health Services	-Member;
3. Deputy Director, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital	- Member;
4. Incharge Transport, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital,	- Member.

[A.11018/27/2017-MH II(pt.II)]

GANESH KUMAR, Under Secy.

जल शक्ति मंत्रालय,**(जल संसाधन)****(नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)**

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2023

सा.का.नि. 33.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, पुस्तकालय और सूचना अधिकारी (समूह 'क' पद) पद भर्ती नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, पुस्तकालय और सूचना अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	01* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 11 (रूपये 67700-208700)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(9)	(10)
प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है / प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ; केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी,

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (रू. 56100-171500) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है ; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 (रू. 53100-167800) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की है ; या
- (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (रू. 47600-151100) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है ; या
- (v) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (रू. 44900-142400) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में नौ वर्ष सेवा की है ; या

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं -

(i) आवश्यक:

- (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विभाग में मास्टर डिग्री और।
- (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त अथवा कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन किसी पुस्तकालय में पांचवर्ष का वृत्तिक अनुभव

(ii) वांछनीय:

- (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त अथवा कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन किसी पुस्तकालय में कम्प्यूटरी करण पुस्तकालय क्रिया कलापों का एक वर्ष का अनुभव।
- (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा।

टिप्पण 1 :- बाह्य व्यक्तियों के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (रू. 44900-142400) में ऐसे विभागीय सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी पर भी विचार किया जाएगा जिन्होंने नौ वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए निहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है, यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

टिप्पण 2 :- पात्रता सेवा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स की स्तर 7 (रू. 44900-142400) में विभागीय सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी का पद धारण करने वाले व्यक्ति के लिए 7 वर्ष बना रहेगा।

टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होंगी।

टिप्पण 4 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
समूह 'क' विभागीय पुष्टि (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे - अध्यक्ष 2. उपसचिव/निदेशक (प्रशासन), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य 3. वैज्ञानिक 'ई', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे - सदस्य	

[फा.सं. 2/2/2016-ई-II]

विनोद कुमार गुप्ता, अवर सचिव,

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources)

(RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION)

New Delhi, the 27th March, 2023

G.S.R. 33—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Library and Information Officer (Group 'A' Post), Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Officer in the Central Water and Power Research Station, Pune, in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, namely :-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Library and Information Officer (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Library and Information Officer.	01 * (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Non-Ministerial, Gazetted.	Level - 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	Deputation including short term contract/ promotion.

In case of recruitment by promotion or by deputation /absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made.

(11)

Deputation (including short term contract) :

Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or recognised research institutions or recognised Universities,-

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) or equivalent in the parent cadre or department; or

(iv) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department ; or

(v) with nine years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department ; or

(b) possessing the following educational qualifications and experience,-

(i) Essential:

A.Masters Degree in Library science or Library and Information Science of a recognised University or institute; and

B.Five years professional experience in a Library under Central Government or State Governments or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or University or recognised research or educational institution.

(ii) Desirable:

A. One year experience of computerising Library activities in a Library under Central Government or State Governments or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or University or recognised research or educational institution.

B. Diploma in Computer Application from a recognised University or institute.

Note 1: The departmental Assistant Library and Information Officer in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with nine years regular service and possessing the educational qualification and experience prescribed for deputationists will also be considered alongwith outsiders, in case he is selected for appointment to the post, it will be treated as having been filled by promotion.

Note 2: The eligibility service shall continue to be seven years for the person holding the post of departmental Assistant Library and Information Officer in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) on regular basis on the date of notification of these rules.

Note 3: The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation in another ex-

cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 4: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of:- 1. Director, Central Water and Power Research Station, Pune – Chairman; 2. Deputy Secretary or Director (Administration) Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation -Member; 3. Scientist 'E', Central Water and Power Research Station, Pune – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F.No. 2/2016-E-II]

VINOD KUMAR GUPTA, Under Secy.

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2023

सा.का.नि. 34.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरी संस्थान(निदेशक) भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग के अधीन केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलुरु, में निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्-

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, निदेशक (समूह 'क') भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

- (i) जिसने, ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ii) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक	1* (2023) *कार्यभार के आधार पर परवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क'— अननुसचिवीय, राजपत्रित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -12 (78800-209200 रुपये)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं,	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा

(11)

प्रोन्नति द्वारा—वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700- 2,08,700 रुपये) ऐसे उप निदेशक (सिविल इंजीनियरी) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और विभाग द्वारा यथा विहित मान्यता प्राप्त संस्थान से तटवर्ती इंजीनियरी

अथवा संरचना या अपरदन और संरक्षण कार्य का दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।

टिप्पण- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67,700- 2,08,700 रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता, और अनुभव हो;

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी में डिग्री

(ii) बंदरगाह परियोजनाओं और जल कृषि परियोजनाओं में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव बंदरगाह परियोजनाओं में, जिसमें बंदरगाह के विकास के लिए साइट चयन, समुद्री संरचनाओं के लिए योजना बनाना और डिजाइनिंग और तट स्थापना शामिल है।

टिप्पण 1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडरबाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।
1. अध्यक्ष अथवा संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य(अध्यक्ष)	
2. संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी), मत्स्यपालन विभाग(सदस्य)	

3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), मत्स्यपालन विभाग (सदस्य)	
4. मात्स्यिकी विकास आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त(मात्स्यिकी) (सदस्य)	

[फा.सं.4-10/2020-प्रशा.व]

उमेश शंकर प्रसाद, अवसर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Fisheries)**

New Delhi, the 29th March, 2023

G.S.R. 34.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery(Director), Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director in the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore under Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, namely: -

1 Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Director(Group 'A') Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2.Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualification, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications. - No Person, -

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ;or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reason to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission,relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the other backward class ,Schedules Tribes, the ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director.	1*(2021) *Subject to variation dependent on	General Central Service Group, A Non-ministerial,	Level -12 (Rs.78800 - 209200/-) in the pay matrix.	Selection Post.	Not Applicable.

	workload	Gazetted			
--	----------	----------	--	--	--

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Promotion failing which Deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.

11

By promotion:

Deputy Director (Civil Engineering) in level- 11 (Rs.67,700 2,08,700/-) in pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in Coastal Engineering or Structures or Erosion and Protection work from a recognised institute as prescribed by the Department.

Note : where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level along with their juniors who have already completed such Qualifying or eligibility service.

By deputation:

Officers under the Central Government:

(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; Or

(ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level -11 (Rs 67,700 2,08,700/-) in the parent cadre or department; And

(b) Possessing the following educational qualification and experience;

(i) Degree in Civil Engineering of a recognised University or Institute.

(ii) Ten years experience in harbor projects and aquaculture projects out of which at least five years experience should be in harbor projects, involving site selection, planning and designing of maritime structures and shore installation for development of harbors.

Note 1: The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputations shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment on deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
12	13
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member of Union Public Service Commission (Chairman) 2. Joint Secretary (Marine), Department of Fisheries (member) 3. Joint Secretary (Administration), Department of Fisheries (member) 4. Fisheries Development Commissioner or Joint Commissioner (Fisheries) (member)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No.4-10/2020-Admn.V]

UMESH SHANKAR PRASAD, Under Secy.